

सं०सं०- टी-3/योजना (LWE)-16/2017.....17-60./

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-...14.../09.../2026

विषय:-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर (LWE) के प्रशासनिक भवन एवं वर्कशॉप (G+1) प्राचार्य/उप प्राचार्य आवास (G) स्टॉफ हॉस्टल (G+1) एवं 100 आसन वाले बालक छात्रावास मॉडल (A) (G+3) का निर्माण कार्य हेतु कुल राशि रु०-19,84,01,000/- (उन्नीस करोड़ चौरासी लाख एक हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सात निश्चय योजनान्तर्गत संचालित मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर पश्चिम अनुमण्डल के अंचल पारु में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर (LWE) के भवन निर्माण कार्य का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल राशि रुपये-19,84,01,000/- (उन्नीस करोड़ चौरासी लाख एक हजार) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10864 (भ) दिनांक-05.12.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य स्किम के अंतर्गत प्रदान की जाती है, जिसका विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	संस्थान का नाम एवं पता	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर (LWE) स्थायी पता:- पारु मुजफ्फरपुर (LWE) अंचल- पारु मौजा-मनिकपुर, थाना नं०-503, खाता नं०-538, खेसरा नं०-2092/2356, रकबा-3.50 एकड़।	i. Main Building (Including workshop) (G+1)	6,28,57,397.00
		ii. 100 Bedded Boys Hostel Model- (A) (G+3)	6,28,54,482.00
		iii. Staff Hostel (G+1)	3,09,73,063.00
		iv. Principal Residence (G)	45,57,579.00
		v. Vice-Principal Residence(G)	31,01,430.00
		vii. Development of Site	2,18,36,320.00
		SUM	18,61,80,271.00

2.		Contingency	
		@1.0% upto Rs.100 Lac	1,00,000.00
		@0.5% above Rs.100 Lac	8,80,901.00
3.		Furniture/ Furnishing	1,12,39,867.00
		@10% of building basic cost of (a) of building (i,ii,iii,vi.) i.e 10% of 205,053,174	
Grand Total			19,84,01,040.00
OR Say Rs.			19,84.01 Lakh

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष 60 अन्य भवन, लघु शीर्ष—051— निर्माण उप शीर्ष 0112—53—01 मुख्य निर्माण कार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, राज्य योजना के विपत्र कोड 03—4059600510112 से कुल राशि रु०—13,50,00,000/— (तेरह करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र एवं मुख्य शीर्ष—4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष 60 अन्य भवन, लघु शीर्ष—789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—0106—53—01 मुख्य निर्माण कार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण राज्य योजना के विपत्र कोड—03—4059607890106 से कुल राशि रु०—5,15,00,000/— (पाँच करोड़ पंद्रह लाख रुपये) मात्र तथा शेष राशि मुख्य शीर्ष—4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष 60 अन्य भवन, लघु शीर्ष—796 जनजाति क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष—0103—53—01 मुख्य निर्माण कार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण राज्य योजना के विपत्र कोड—03—4059607960103 से कुल राशि रुपये—1,19,01,000/— (एक करोड़ उन्नीस लाख एक हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026—27 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी।

5. कार्य का भौतिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री एवं वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. संचिका संख्या— टी—3/योजना (LWE)—16/2017—...../टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

S. Anand
11/9/20

संयुक्त सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

[Signature]

ज्ञापांक— टी-3/योजना (LWE)-16/2017 1760 पटना, दिनांक—11/09/2026
प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

S. Aayal
11/9/20
संयुक्त सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— टी-3/योजना (LWE)-16/2017 1760 पटना, दिनांक—14/09/2026
प्रतिलिपि:—प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मुख्यालय)/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) मुजफ्फरपुर/मासिक व्यय विवरणी शाखा/लेखा शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

S. Aayal
11/9/20
संयुक्त सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

